प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--- 154/XXVI-ALLII (2021-2022) Dated---7-12-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.9975 hectares of Civil land proposed to be diverted in favour of **(Public Works Department Kirtinagar**) for **(Chorikhal-Sirwadi-Kanda Motor Road)** in district falls within jurisdiction of village **(Musmola, Manjuli,Khola,Sirwadi,Kanda)** in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975 hectares** of Civil forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure **23.2**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

Executive Engineer
T.D.PWD Kirtinagar
अधिशासी अभियन्ता
अ0 खं0, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

District Collector
Distt.- Tehri Garhwal
New Tehri
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Chorikhal-Sirwadi-Kanda Motor Road (4.500 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

सदस्य
जिला पंचायत
34 चिलेडी टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती(टिहरी गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

Signature

जिलाधिकारी
(Distt. Collector)
टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ………………………….. I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.9975 Hectare** for the construction of **Chorikhal-Sirwadi-Kanda Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Signature	Signature
Executive Engineer T.D.PWD Kirtinagar अधिशासी अभियन्ता अ0 खं0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर	District Collector District Tehri Garhwal New Tehri जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–23.2

परियोजना विवरणः– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी–मणजुली मोटर मार्ग के किमी0 6 हेमी0 2–4 से चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु कुल **2.2785 है0** नाप भूमि (0. 126 है0 डम्पिग जोन सहित), **0.9975 है0** सिविल सोयम वन भूमि, **0.000 है0** वन पंचायत भूमि, 0.000 **है0** आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमें से **कुल 0.9975 है0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 23/9/21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सोनिया पन्त .., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सोनिया पन्त उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष

2– श्री मनमोहन सिंह बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य

3– श्रीमती आशा देवी सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव

4– श्री रविन्द्र सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र सिरवाड़ी .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकासखण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0) परियोजना हेतु **0.9975 है0** वनभूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु **0.9975 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढवाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढवाल

परियोजना विवरणः— जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी—मणजुली मोटर मार्ग के किमी0 6 हेमी0 2—4 से चौरीखाल—सिरवाडी—काण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

दिनॉक 23/9/21 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढवाल

1	श्री सोनिया पन्त	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
2	श्री मनमोहनसिंह बिष्ट	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग मुनि की रेती
3	श्रीमती आशा देवी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	श्री रविन्द्र सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	क्षेत्र पंचायत सिरवाड़ी टिहरी गढ़

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी–मणजुली मोटर मार्ग के किमी0 6 हेमी0 2–4 से चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.000 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –सिरवाडी

तहसील **कीर्तिनगर**, जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा** की परियोजना के निर्माण हेतु **0.9975 हे0 सिविल भूमि**, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि) अर्थात **कुल 0.9975 हे0 वन भूमि** का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सिरवाडी** द्वारा **दिनांक 10.06.2021** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिरवाडी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....सिरवाडी....
वि0 ख0 कीर्तिनगर (टि0 ग0)

प्रधान ग्राम पंचायत सिरवाडी
ह0 ......
दि0 10/6/21
वि0ख0 कीर्तिनगर (टि0ग0)

दिनॉक–10.06.2021 को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10.06.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – सिरवाड़ी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सूरवीरसिंह श्री भजनसिंह	सूरवीरसिंह
2	मदनसिंह श्री स्व श्री नारायणसिंह	[illegible]
3	भरतसिंह S/o मातवरसिंह	Bhandari
(4)	सूरवीर सिंह S/o वचन सिंह	सूरवीर
(5)	धर्म सिंह S/o मातवर सिंह	[illegible]
6	देवराज सिंह S/o मातवर सिंह	देवराजसिंह
7	उमेद सिंह S/o गोविन्द सिंह	उमेदसिंह
(8)	प्रेम सिंह S/o मातवर सिंह	प्रेमसिंह
(9)	जैताब सिंह S/o सुरेश सिंह	जैताब सिंह
(10)	विक्रम सिंह S/o प्रताप सिंह	Vikram
11	मोर सिंह S/o कल्याण सिंह	मोरसिंह
12	दीपक सिंह S/o गोविन्द सिंह	Deepak
13	गौरा देवी W/o स्व वचन सिंह	
14	प्रेम सिंह S/o - वचन सिंह	प्रेमसिंह
15	भगतसिंह S/o राजीव सिंह	भगतसिंह
16	कुवर सिंह S/o गोपाल सिंह	कुवरसिंह
17	विजय सिंह S/o स्वर्गीय नारायण सिंह	[illegible]
(18)	सरोप सिंह S/o मातवर सिंह	सरोपसिंह
(19)	कुन्दन सिंह S/o प्रेम सिंह	kundan singh
(20)	शंकर सिंह S/o प्रताप सिंह	Shankar
21	महताब सिंह S/o शंकर सिंह	महताबसिंह
22	भोग सिंह S/o गुमान सिंह	भोगसिंह
23	जगत सिंह S/o गबर सिंह	[illegible]
24	पंकज सिंह S/o ~~उमेद सिंह~~ भोग सिंह	Pankaj Rawat
25	धन सिंह S/o उमेद सिंह	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सिरवाड़ी
वि०ख० कीर्तिनगर (टि० ग०)

प्रधान ग्राम पंचायत सिरवाड़ी
ह० [illegible]
दि० 10/6/21
वि०ख० कीर्तिनगर (टि०ग०)